



**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।**  
**उपस्थित : विकास कुमार-प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा**  
**अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-729/2026**  
**लखन प्रति उत्तर प्रदेश राज्य**  
**आदेश**

मुकदमा अपराध संख्या 69/2026, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना वृन्दावन, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त लखन की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2- अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता-दाण्डिक को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3- आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको झूठा फँसाया गया है, उसने कोई भी कथित अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा उसका कोई प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः उसे दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

4- प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा उत्तम मण्डल की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना आक्षेपित है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है। प्रकरण की विवेचना अभी चल रही है, अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5- प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष के कथन हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता सुचेता मण्डल को बहला-फुसलाकर ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई गवाह अंकित है। पीड़िता, आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं हुई है। धारा 180 BNSS व धारा 184 BNSS के बयानों में पीड़िता ने आवेदक/अभियुक्त द्वारा भगाकर ले जाने सम्बन्धी कोई बयान नहीं दिया है। आवेदक/अभियुक्त को मौहल्ले की पार्टीबंदी के आधार पर झूठा अभियुक्त बनाया गया है। पीड़िता स्वेच्छापूर्वक अपने माता-पिता के प्रताड़ित करने पर अपनी मनमर्जी से कहीं चली गई थी और आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 15 घंटे देरी से दर्ज कराई गई है।

6- उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु विधि व्यवस्था गुरुवर्ष सिंह सिविया प्रति स्टेट आफ पंजाब 1978 Cr.L.J. 20(F.B.) का संज्ञान लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

**Sec. 438 of the code is in the nature of a shield for protecting entirely innocent person from malicious humiliation---care has to be taken that this provision does not become sword in the hands of the unscrupulous person to gain time for destroying the incriminating evidence against them and to mock at the lagitimate investigation process authorised by law.**

केस डायरी में पीड़िता सुचेता मण्डल के बयान अंतर्गत धारा 180 BNSS व धारा



183 BNSS उपलब्ध हैं, जिनके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त बयानों में उक्त पीड़िता द्वारा स्वयं घर से जाने का कथन किया गया है, न कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्वयं को भगाकर ले जाने का कथन किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त **लखन** किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत प्रकट किए, आवेदक/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है-

- 1- आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना/विचारण, विवेचक/न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और अपने स्तर से विवेचना/विचारण में कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,
- 2- आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा,
- 3- आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति व आदेश के भारत नहीं छोड़ेगा,
- 4- आवेदक/अभियुक्त ऐसा अपराध, जिसे करने का उस पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेगा और उसके द्वारा विवेचना/विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जाँचोपरान्त किसी भी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/- (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो विश्वसनीय जमानतें सम्बन्धित न्यायालय में नियमानुसार अविलम्ब प्रस्तुत की जायँ।

दिनांक-30.03.2026

(विकास कुमार-प्रथम)  
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।  
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी